राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

आदर्श विद्यालय
आदर्श शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ओपन स्टेट बिल्डिंग, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532 E-mail: adrutrsmsa@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप / जय / आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय / 2020–21 / 13895 दिनांक : 19.08.2020

राज्य के माध्यमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा के चिन्हित विद्यालयों,
चयनित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं
स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में

वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह, 2020–21 आयोजित करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश

प्रतिभा सम्मान | समुदाय मैत्री | प्रतिभा प्रदर्शन

प्रस्तावना :–

गत सत्र 2019–20 के दौरान राज्य सरकार की आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित राजकीय विद्यालयों में आयोजित किये गये वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह की वृहद् सफलता का वर्तमान सत्र 2020–21 में विस्तार करते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य स्तरीय योजना बनाकर **राज्य के माध्यमिक शिक्षा के चयनित विद्यालयों, प्रारम्भिक शिक्षा के चयनित विद्यालयों, चयनित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल (अनुमोदित विद्यालयों का श्रेणीवार संख्यात्मक विवरण एवं जिलेवार सूची संलग्न)** के विद्यार्थियों को सत्र पर्यन्त विद्यालय की शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों में उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं उपलब्धियों जैसे – उच्चतम अंक / श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम / विशिष्ट उपलब्धि प्राप्ति / विशेष प्रतिभा प्रदर्शन इत्यादि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह – 2021** का आयोजन किया जाना है।

इस हेतु चयनित आयोजक विद्यालयों को उपलब्ध करवाई जाने वाली प्रति विद्यालय राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

1. माध्यमिक शिक्षा का विद्यालय – 10,000 / –
2. प्रारम्भिक शिक्षा का विद्यालय – 10,000 / –
3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय – 10,000 / –
4. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल – 10,000 / –

राज्य में उक्त समारोह के माह अक्टूबर–नवम्बर, 2020 में जिला / ब्लॉक / ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत / शहरी क्षेत्र में सीआरसी स्तर पर सफल आयोजन एवं उक्त राशि के व्यय हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्न प्रकार है :–

जिला स्तर –

निम्नानुसार गठित **जिला स्तरीय कमेटी** जिले में **वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह – 2021** की समस्त व्यवस्थाओं के लिये उत्तरदायी होगी :–

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक – अध्यक्ष
- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्राशि) – सदस्य
- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माशि) – सदस्य
- प्रधानाचार्य, डाइट – सदस्य
- अति. जिला परियोजना समन्वयक – सदस्य सचिव
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त – सदस्य
- सहायक जिला परियोजना समन्वयक (आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, केजीबीवी, मॉडल स्कूल एवं सीएसआर) – सदस्य
- लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी – सदस्य

- कार्यक्रम अधिकारी (आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, केजीबीवी, मॉडल स्कूल एवं सीएसआर) – सदस्य
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं सीआरसीएफ (02) – सदस्य
- मॉडल स्कूल / महात्मा गांधी स्कूल संस्थाप्रधान (01) – सदस्य
- उत्कृष्ट विद्यालय संस्थाप्रधान (01) – सदस्य
- केजीबीवी संस्थाप्रधान (01) – सदस्य
- भामाशाह / भामाशाह प्रेरक (02) – सदस्य

उक्त कमेटी के कार्य निम्नानुसार रहेंगे :–

- **वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह – 2021 हेतु गठित उक्त जिला स्तरीय समिति वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ–साथ CSR अनुभाग द्वारा आयोज्य पूर्व छात्र एवं भामाशाह सम्मेलन (Alumni Meet) के समस्त उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करेगी।**
- समारोह के आयोजन की जिला स्तरीय विस्तृत कार्ययोजना निर्मित कर समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के साथ साझा करेंगें।
- समारोह के आयोजन हेतु परिषद कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि को निर्धारित समय में जिला स्तर से सम्बन्धित विद्यालय की SDMC/SMC खाते में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
- कार्ययोजना निर्माण करते समय अधिकाधिक जनसहभागिता को प्रमुखता प्रदान करेंगे।
- राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, भामाशाहों, दानदाताओं को चिन्हित कर विद्यालयों में आमंत्रित करने हेतु उनसे सम्पर्क कर उनकी सूची सीबीईओ को उपलब्ध करायेंगें, जिससे उनसे समन्वय स्थापित कर उनको कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया जा सके।
- अधीनस्थ विद्यालयों में उक्त आयोज्य समारोह में जनप्रतिनिधि, भामाशाह, दानदाता, क्षेत्रीय कम्पनी के प्रबन्धक / सीएसआर हैड को आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
- राज्य स्तर से समारोह हेतु जारी राशि के अतिरिक्त राशि एकत्रीकरण हेतु जिला / ब्लॉक के सीएसआर फर्म, भामाशाह, उधोगपति, दानदाता, जनप्रतिनिधि, विद्यालयों के सफल पूर्व छात्र एवं ऐसे संभावित व्यक्तित्व जो कार्यक्रम के आयोजन हेतु राशि उपलब्ध करा सकते हैं, की सूची सीबीईओ के साथ साझा करेंगें।
- समारोह में संस्था प्रबन्धन एवं विद्यार्थियों को सम्बलन प्रदान करने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को नियुक्त करेंगे। प्रयास रहे कि अधिकतम समारोहों में कोई प्रतिनिधि आवश्यक रूप से उपस्थित रह सके। इस हेतु संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि एवं माशि), प्रधानाचार्य–डाइट, एडीपीसी कार्यालय के समस्त अधिकारियों को शामिल किया जावे।
- समारोह के आयोजन से पूर्व जिला स्तर पर CDEO की अध्यक्षता में समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की बैठक आयोजित की जावेगी, जिसमें कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समस्त दिशा–निर्देश प्रदान किये जावेंगे।
- प्रत्येक ब्लॉक एवं सीआरसीएफ स्तरीय समारोह आयोजन समिति के गठन की सूचना सहित प्रत्येक ब्लॉक के सीआरसीएफ स्तरीय **आयोजक विद्यालयों** में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह और पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन (Alumni Meet) के आयोजन **की** निर्धारित **दिवस / तिथि** वार सूची **दिनांक 21.09.2020 तक राज्य कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे।**
- राज्य एवं ब्लॉक कार्यालय से निरन्तर समन्वय स्थापित करते हुए उक्त समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला कार्यालय उक्त समारोह के व्यापक आयोजन की एकजाई विस्तृत रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) / व्यय विवरण (ब्लॉकवार सूचना सहित) जिले में अन्तिम आयोजन के 05 दिवस में राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

ब्लॉक स्तर –

निम्नानुसार गठित **ब्लॉक स्तरीय कमेटी** जिले में **वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह** की समस्त व्यवस्थाओं के लिये उत्तरदायी होगी :–

- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – अध्यक्ष
- अति. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रथम – सदस्य
- अति. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, द्वितीय – सदस्य
- संदर्भ व्यक्ति, प्रथम एवं द्वितीय – सदस्य
- सहायक लेखाधिकारी – सदस्य
- शहरी आदर्श विद्यालय संस्थाप्रधान एवं सीआरसीएफ, समस्त – सदस्य
- पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं सीआरसीएफ – सदस्य (02)
- मॉडल स्कूल / महात्मा गांधी स्कूल संस्थाप्रधान (01) – सदस्य
- उत्कृष्ट विद्यालय संस्थाप्रधान (01) – सदस्य
- केजीबीवी संस्थाप्रधान (01) – सदस्य
- भामाशाह/भामाशाह प्रेरक (02) – सदस्य

उक्त कमेटी के कार्य निम्नानुसार रहेंगे :–

- **वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह – 2021 हेतु गठित उक्त ब्लॉक स्तरीय समिति वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ–साथ CSR अनुभाग द्वारा आयोज्य पूर्व छात्र एवं भामाशाह सम्मेलन (Alumni Meet) के समस्त उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करेगी।**
- उक्त समारोह के सफल आयोजन हेतु विस्तृत कार्ययोजना निर्माण कर शहरी क्षेत्र में सीआरसीएफ अधीनस्थ आयोजक विद्यालयों के संस्थाप्रधान एवं ग्रामीण क्षेत्र में पदेन पीईईओ व सीआरसीएफ अधीनस्थ आयोजक विद्यालयों के संस्थाप्रधान के साथ साझा करेंगे एवं कार्य रूप में परिणित करने हेतु उत्तरदायी होंगे।
- राज्य स्तर से जारी समारोह के आयोजन की राशि जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित समय में आयोजक विद्यालयों तक उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- कार्ययोजना निर्माण करते समय अधिकाधिक जनसहभागिता को प्रमुखता प्रदान करेंगे।
- समारोह में जनप्रतिनिधि, भामाशाह, दानदाता, कम्पनी के प्रबन्धक/सीएसआर हैड को आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
- राज्य स्तर से समारोह हेतु जारी राशि के अतिरिक्त राशि एकत्रीकरण हेतु जिला/ब्लॉक के सीएसआर फर्म, भामाशाह, उधोगपति, दानदाता, जनप्रतिनिधि, विद्यालयों के सफल पूर्व छात्र एवं ऐसे संभावित व्यक्तित्व जो कार्यक्रम के आयोजन हेतु राशि उपलब्ध करा सकते हैं, की सूची शहरी क्षेत्र के आयोजक विद्यालयों के संस्थाप्रधान व सीआरसीएफ एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त पीईईओ व सीआरसीएफ के साथ साझा करेंगे।
- समारोह में सम्बलन प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ – साथ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
- राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, भामाशाहों, दानदाताओं को चिन्हित कर विद्यालयों में आमंत्रित करने हेतु सम्पर्क कर उनकी सूची शहरी क्षेत्र के आयोजक विद्यालयों के संस्थाप्रधान व सीआरसीएफ एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त पीईईओ व सीआरसीएफ को उपलब्ध करायेंगे, जिससे आयोजक विद्यालय उनसे समन्वय कर उनको कार्यक्रम हेतु आमंत्रित कर सके।
- समारोह से पूर्व ब्लॉक स्तर पर CBEO की अध्यक्षता में समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं सीआरसीएफ, शहरी क्षेत्र के आयोजक विद्यालयों के संस्थाप्रधान व सीआरसीएफ, इत्यादि की पूर्व तैयारी बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें आयोजक विद्यालयों को कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समस्त दिशा–निर्देश उपलब्ध करायेंगे।

- ब्लॉक स्तरीय आयोजन समिति एवं अधीनस्थ सीआरसीएफ स्तरीय आयोजन समिति के गठन की सूचना के साथ–साथ प्रत्येक सीआरसीएफ के परिक्षेत्र के आयोजक विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह और पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन (Alumni Meet) के आयोजन **की** निर्धारित **दिवस/तिथि** वार सूची **दिनांक 14.09.2020 तक अनिवार्य रूप से जिला कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।**
- ब्लॉक कार्यालय उक्त समारोह के व्यापक आयोजन की एकजाई विस्तृत रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) / व्यय विवरण (पीईईओ/शहरी क्षेत्र – सीआरसी सूचना सहित) ब्लॉक में अन्तिम आयोजन के 02 दिवस में जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

<u>नोट :–</u> उक्त समारोह के आयोजन की जिला एवं ब्लॉक स्तरीय मॉनीटरिंग रिपोर्ट शाला दर्पण पोर्टल पर जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों के लॉगिन में उपलब्ध करा दी जावेगी, जिसकी सहायता से जिला/ब्लॉक कार्यालय परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में उक्त आयोजन का सफल संचालन एवं प्रभावी मॉनीटरिंग व मूल्यांकन सुनिश्चित करेंगे।

पंचायत स्तरीय आयोजन समिति :–

ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर अधीनस्थ विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के सफल आयोजन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है। उक्त पंचायत स्तरीय समिति वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह की समस्त व्यवस्थाओं के लिये उत्तरदायी होगी –

- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं सीआरसीएफ – अध्यक्ष
- मॉडल स्कूल संस्थाप्रधान (01) – सदस्य (उपलब्धता अनुसार),
- पंचायत स्थित अन्य उमावि/मावि के संस्थाप्रधान, समस्त – सदस्य
- उत्कृष्ट विद्यालय संस्थाप्रधान – सदस्य
- पंचायत स्थित अन्य उप्रावि/प्रावि के संस्थाप्रधान – सदस्य (02)
- एसडीएमसी/एसएमसी (पीईईओ विद्यालय) – सदस्य (02)
- भामाशाह प्रेरक – सदस्य
- भामाशाह – सदस्य (02)

शहरी क्षेत्र सीआरसीएफ स्तरीय आयोजन समिति :–

शहरी क्षेत्र में सीआरसीएफ स्तर पर परिक्षेत्र के विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के सफल आयोजन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है। उक्त सीआरसीएफ स्तरीय समिति वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह की समस्त व्यवस्थाओं के लिये उत्तरदायी होगी –

- शहरी नोडल विद्यालय संस्थाप्रधान एवं सीआरसीएफ – अध्यक्ष
- परिक्षेत्र के उमावि/मावि (महात्मा गांधी स्कूल सहित) के संस्थाप्रधान – सदस्य (02)
- परिक्षेत्र के उप्रावि/प्रावि के संस्थाप्रधान – सदस्य (02)
- एसडीएमसी/एसएमसी (शहरी नोडल विद्यालय) – सदस्य (02)
- भामाशाह प्रेरक – सदस्य
- भामाशाह – सदस्य (02)

उक्तानुसार गठित ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत व सीआरसीएफ स्तरीय एवं शहरी क्षेत्र की सीआरसीएफ स्तरीय समारोह आयोजन समिति संलग्न सूची अनुसार अपने परिक्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा के समस्त आयोजक विद्यालयों (महात्मा गांधी स्कूल सहित), प्रारम्भिक शिक्षा के चिन्हित विद्यालयों, केजीबीवी एवं मॉडल स्कूल में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन हेतु निम्नांकित समस्त निर्देशों की अनुपालना करते हुये विस्तृत कार्ययोजना का निर्माण कर कार्य रूप में परिणित करेंगे एवं समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे :–

- **जिन विद्यालयों में पूर्व छात्र एवं भामाशाह सम्मेलन (Alumni Meet) और वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दोनों आयोज्य हैं, वे एक ही दिवस में एक साथ संयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जावें। सीआरसीएफ स्तरीय समिति इस हेतु पूर्व में ही आवश्यक विस्तृत कार्य–योजना तैयार कर सफल आयोजन सुनिश्चित करें।**
- समस्त आयोजक विद्यालयों में अक्टूबर–नवम्बर, 2020 में उक्त आयोजन हेतु आवश्यक सम्पूर्ण तैयारियाँ समय पूर्व सम्पन्न कर ली जावें।

- समारोह के आयोजन हेतु विद्यालय के प्रांगण, सार्वजनिक स्थान का चयन करें। यदि उक्त स्थान पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो, तो समीपस्थ गार्डन, लॉन, सामुदायिक केन्द्र की निःशुल्क अथवा दानदाता/भामाशाहों के सहयोग से उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
- उक्त आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई उक्त राशि के अतिरिक्त संस्था प्रधान एवं स्टाफ जनसहयोग, भामाशाहों, दानदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सीआरसीएफ/पीईईओ अपने परिक्षेत्र में स्थित आयोजक विद्यालयों को आवश्यक नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे एवं समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु समस्त व्यवस्थाओं के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। इस हेतु वे जिला कार्यालय एवं ब्लॉक कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए आयोजक विद्यालयों में उक्त समारोह का आयोजन अलग-अलग दिवस/तिथि में आयोजित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- **उक्तानुसार ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत/सीआरसीएफ स्तरीय एवं शहरी क्षेत्र की सीआरसीएफ स्तरीय गठित समारोह आयोजन समिति** अपने परिक्षेत्र के माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के चिन्हित आयोजक विद्यालयों के अतिरिक्त शेष रहे माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चों के लिए अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगें कि वे समिति द्वारा निर्धारित आयोजन दिवस को सुविधायुक्त समीपस्थ आयोजक विद्यालय के साथ समारोह में भाग लेवें।
- समिति सुनिश्चित करें कि परिक्षेत्र के समस्त आयोजक विद्यालय सहित गैर-आयोजक विद्यालयों के बच्चे भी समारोह की गतिविधियों में सहभागी बनें एवं प्रतिनिधित्व के अवसर प्राप्त करें।
- समारोह में वर्तमान सत्र के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे – निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद इत्यादि के विजेता एवं विद्यालय में श्रेष्ठतम शैक्षणिक उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जावे।
- गत वर्ष की बोर्ड एवं सामान्य परीक्षा के टॉपर्स को आमंत्रित कर सम्मानित किया जावे। टॉपर्स के संक्षिप्त Motivational Speech के माध्यम से अन्य विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन हेतु प्रेरित किया जावे।
- समारोह में विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों के अतिरिक्त समस्त विद्यार्थी विद्यालय गणवेश में उपस्थित रहेंगे।
- विद्यालय के सफल पूर्व विद्यार्थियों सहित समस्त विद्यार्थियों के अभिभावकों को समारोह में भाग लिये जाने हेतु आमंत्रित किया जावे एवं इस संबंध में विद्यार्थियों को भी उनके अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु मार्गदर्शन दिया जावे।
- वार्षिकोत्सव समारोह के सफल आयोजन हेतु समस्त विद्यार्थियों को उनके प्रयासों और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जावे।
- समारोह में आदर्श एवं गरिमा अनुकूल कलात्मक, सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे – सामाजिक संदेश देने वाले नाटक/नुक्कड़ नाटक/ड्रामा/गीत, देशभक्ति गीत, प्रेरक प्रसंग, जिम्नास्टिक, आसन इत्यादि की प्रस्तुति सुनिश्चित की जावे।
- कार्यक्रम का आयोजन गरिमामय रहे, इस बात का पूर्णतया ध्यान रखा जावे।
- उपलब्ध करवाई गई एवं जुटाई गई राशि का उपयोग समारोह के सफल आयोजन हेतु आवश्यक संसाधन जैसे – मुद्रण कार्य मंच साज-सज्जा, टैन्ट व्यवस्था, साउण्ड सिस्टम, वीडियो/फोटोग्राफी, बैठक व्यवस्था, जलपान इत्यादि के लिये एवं विद्यार्थियों के लिये पुरस्कार – शील्ड, स्मृति चिन्ह, प्रोत्साहन राशि इत्यादि हेतु किया जाना है।
- समारोह के सफल संचालन हेतु शहरी/ पंचायत परिक्षेत्र के समस्त शिक्षकों को आवश्यकतानुसार उत्तरदायित्व (जैसे –सांस्कृतिक प्रभारी, आमंत्रण प्रभारी, बैठक व्यवस्था प्रभारी, मीडिया प्रभारी, जलपान प्रभारी, मंच संचालन प्रभारी, मंच प्रभारी इत्यादि) प्रदान किये जावे।
- जिला / ब्लॉक/सीआरसीएफ स्तरीय समिति आपसी समन्वय के साथ सुनिश्चित करें कि प्रत्येक समारोह में अधिकाधिक जनसहभागिता हो। इस हेतु सीआरसीएफ एवं परिक्षेत्र के आयोजक विद्यालय संस्थाप्रधान समारोह पूर्व अधीनस्थ स्टाफ के सहयोग से विद्यालय के समस्त परिक्षेत्र में जनसंपर्क स्थापित करें।
- समारोह में जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, भामाशाह, दानदाता, कम्पनी के प्रबन्धक/सीएसआर हैड, SDMC/SMC के सदस्य, विद्यालय के सफल पूर्व छात्र एवं समस्त अभिभावक को अनिवार्यतः आमंत्रित किया जावे, जिनके साझा किये गये अनुभवों से बच्चे प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें।

- विद्यालय स्तर पर भी **SDMC/SMC** की बैठक के दौरान उक्त समारोह के सफल आयोजन हेतु विस्तृत कार्य योजना तय कर समस्त सदस्यों में कार्य आवंटन किया जावे।
- समारोह का प्रारम्भ अनिवार्यतः राष्ट्रगान के साथ एवं समापन राष्ट्रगीत के साथ किया जावे।
- **जिला एवं ब्लॉक कार्यालय इस हेतु स्पष्ट निर्देश जारी कर अनुपालना सुनिश्चित करें कि वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह और पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन (Alumni Meet) के आयोजन की निर्धारित सूचना की समस्त सही प्रविष्टियाँ आयोजन समाप्ति पश्चात् अगले दिवस तक शाला दर्पण पोर्टल पर केवल आयोजक विद्यालय द्वारा उनके विद्यालय के लॉगिन के स्कूल टैब के अन्तर्गत तत्समय उपलब्ध लिंक पर अनिवार्यतः ऑनलाइन फीड की जावें। गैर–आयोजक विद्यालय द्वारा उक्त सूचना नहीं भरी जानी है। पंचायत एवं सीआरसी स्तरीय समिति इन दिशा–निर्देशों की कठोर पालना सुनिश्चित करें, ताकि आयोजन की प्रामाणिक एवं सुसंगत सूचना प्राप्त की जा सके।**
- प्रत्येक आयोजक विद्यालय द्वारा वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के 10 एवं सीएसआर **Alumni Meet** के 05 छवि चित्र (फोटोग्राफ) एवं वीडियो सीबीईओ कार्यालय को उपलब्ध करवाये जावें। सीबीईओ कार्यालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ फोटो एवं वीडियो सीडीईओ कार्यालय को प्रेषित किये जावें। सीडीईओ कार्यालय का प्रतिनिधि जिले के **प्रत्येक ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ 50 फोटोग्राफ एवं 05 वीडियो को जिले के अन्तिम समारोह के 03 दिवस में पैन ड्राइव के माध्यम से परिषद् कार्यालय को अनिवार्यतः उपलब्धता सुनिश्चित करें।**
- समारोह में सम्मानित अतिथि, जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, भामाशाह, दानदाता, कम्पनी के प्रबन्धक/सीएसआर हैड, **SDMC/SMC** के सदस्य, विद्यालय के सफल पूर्व छात्र एवं समस्त अभिभावक को विद्यालय विकास में सहयोग हेतु प्रेरित किया जावे। इस हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में सक्षिप्त जानकारी देकर विद्यालय विकास में इसके महत्व का प्रचार–प्रसार किया जावे।
- उक्त समारोह के आयोजन हेतु विद्यालय के **SDMC/SMC** खाते में उपलब्ध करवाई गई राशि का उपयोग अनिवार्यतः संबंधित **SDMC/SMC** के माध्यम से ही किया जायेगा।
- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जावे।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देश एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- पंचायत एवं सीआरसी स्तरीय समिति अपने अधीनस्थ विद्यालयों से प्राप्त समारोह आयोजन की रिपोर्ट के आधार पर एकजाई रिपोर्ट अन्तिम आयोजन के अगले दिवस ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- आयोजक विद्यालय कार्यक्रम आयोजन के 02 दिवस में उपयोगिता प्रमाण पत्र पीईईओ/सीआरसीएफ एवं तदनुसार सीबीईओ के माध्यम से परियोजना कार्यालय जिला स्तर को प्रस्तुत किया जावे।
- आवंटित राशि में यदि कोई बचत राशि शेष हो तो, आयोजक विद्यालय आयोजन के 02 दिवस में जिला कार्यालय को लौटाया जाना सुनिश्चित करें।
- उक्तानुसार जिला स्तर पर शेष समस्त राशि को जिला कार्यालय जिले में उक्त समारोह के अन्तिम आयोजन के 05 दिवस में राज्य कार्यालय को लौटाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला कार्यालय व्यय राशि की प्रविष्टि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पीएमएस पोर्टल पर अनिवार्यतः अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त समारोह के आयोजन संबंधी समस्त गतिविधियों का सम्पादन कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना अनिवार्यतः पूर्ण करते हुए किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं (विद्यालय) के नियमित संचालन की अनुमति पश्चात् भी कोविड महामारी के संबंध में राज्य सरकार के तत्समय के दिशा–निर्देश प्रभावी रहेंगे।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

19/08/2020

(बाबू लाल मीणा)
आयुक्त एवं
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम एवं द्वितीय, रास्कूलशिप, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि एवं माशि, समस्त जिले।
9. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10. प्राचार्य, समस्त जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs)।
11. रक्षित पत्रावली।

(एम. आर. बागडिया)
अति. राज्य परियोजना निदेशक

Recommended as per PAB (Recurring : 2020-21)
(District_wise) support for Quality Intervention
i.e. Prize Distribution cum Annual Function (Sec./Ele./KGBV/ Model Schools)

Major Component - Quality Intervention **Sub Component - Innovation** **(Rs. in lacs)**

Sub Activity ì		Prize distribution-cum-Annual Function (Elementary incl. Utkrisht)			Prize distribution-cum-Annual Function (KGBV-Elementary)			Prize distribution-cum-Annual Function (Secondary incl. Adarsh)			Prize distribution-cum-Annual Function (Model School)			Total Elementary			Total Secondary		
S.No.	**Name of District**	**Phy**	**Unit cost**	**Financial**	**Phy**	**Unit cost**	**Financial**	**Phy**	**Unit cost**	**Financial**	**Phy**	**Unit cost**	**Financial**	**Phy**	**Unit cost**	**Financial**	**Phy**	**Unit cost**	**Financial**
1	AJMER	498	0.10	49.80	7	0.10	0.70	498	0.10	49.80	4	0.10	0.40	505	0.10	50.5	502	0.10	50.2
2	ALWAR	759	0.10	75.90	10	0.10	1.00	763	0.10	76.30	10	0.10	1.00	769	0.10	76.9	773	0.10	77.3
3	BANSWARA	590	0.10	59.00	5	0.10	0.50	443	0.10	44.30	6	0.10	0.60	595	0.10	59.5	449	0.10	44.9
4	BARAN	283	0.10	28.30	5	0.10	0.50	291	0.10	29.10	6	0.10	0.60	288	0.10	28.8	297	0.10	29.7
5	BARMER	932	0.10	93.20	6	0.10	0.60	688	0.10	68.80	5	0.10	0.50	938	0.10	93.8	693	0.10	69.3
6	BHARATPUR	472	0.10	47.20	7	0.10	0.70	534	0.10	53.40	0	0.10	0.00	479	0.10	47.9	534	0.10	53.4
7	BHILWARA	691	0.10	69.10	9	0.10	0.90	543	0.10	54.30	11	0.10	1.10	700	0.10	70	554	0.10	55.4
8	BIKANER	379	0.10	37.90	5	0.10	0.50	431	0.10	43.10	1	0.10	0.10	384	0.10	38.4	432	0.10	43.2
9	BUNDI	274	0.10	27.40	4	0.10	0.40	260	0.10	26.00	4	0.10	0.40	278	0.10	27.8	264	0.10	26.4
10	CHITTORGARH	409	0.10	40.90	8	0.10	0.80	390	0.10	39.00	10	0.10	1.00	417	0.10	41.7	400	0.10	40
11	CHURU	369	0.10	36.90	6	0.10	0.60	493	0.10	49.30	0	0.10	0.00	375	0.10	37.5	493	0.10	49.3
12	DAUSA	300	0.10	30.00	4	0.10	0.40	357	0.10	35.70	4	0.10	0.40	304	0.10	30.4	361	0.10	36.1
13	DHOLPUR	320	0.10	32.00	4	0.10	0.40	284	0.10	28.40	1	0.10	0.10	324	0.10	32.4	285	0.10	28.5
14	DUNGARPUR	474	0.10	47.40	5	0.10	0.50	374	0.10	37.40	5	0.10	0.50	479	0.10	47.9	379	0.10	37.9
15	GANGANAGAR	344	0.10	34.40	1	0.10	0.10	471	0.10	47.10	2	0.10	0.20	345	0.10	34.5	473	0.10	47.3
16	HANUMANGARH	274	0.10	27.40	1	0.10	0.10	352	0.10	35.20	0	0.10	0.00	275	0.10	27.5	352	0.10	35.2
17	JAIPUR	683	0.10	68.30	6	0.10	0.60	906	0.10	90.60	2	0.10	0.20	689	0.10	68.9	908	0.10	90.8
18	JAISALMER	212	0.10	21.20	2	0.10	0.20	188	0.10	18.80	3	0.10	0.30	214	0.10	21.4	191	0.10	19.1
19	JALORE	480	0.10	48.00	7	0.10	0.70	378	0.10	37.80	2	0.10	0.20	487	0.10	48.7	380	0.10	38
20	JHALAWAR	412	0.10	41.20	4	0.10	0.40	311	0.10	31.10	4	0.10	0.40	416	0.10	41.6	315	0.10	31.5
21	JHUNJHUNU	248	0.10	24.80	2	0.10	0.20	497	0.10	49.70	0	0.10	0.00	250	0.10	25	497	0.10	49.7
22	JODHPUR	642	0.10	64.20	9	0.10	0.90	682	0.10	68.20	9	0.10	0.90	651	0.10	65.1	691	0.10	69.1
23	KARAULI	292	0.10	29.20	2	0.10	0.20	311	0.10	31.10	4	0.10	0.40	294	0.10	29.4	315	0.10	31.5
24	KOTA	231	0.10	23.10	0	0.10	0.00	312	0.10	31.20	0	0.10	0.00	231	0.10	23.1	312	0.10	31.2
25	NAGAUR	603	0.10	60.30	14	0.10	1.40	725	0.10	72.50	9	0.10	0.90	617	0.10	61.7	734	0.10	73.4
26	PALI	487	0.10	48.70	9	0.10	0.90	486	0.10	48.60	6	0.10	0.60	496	0.10	49.6	492	0.10	49.2
27	PRATAPGARH	302	0.10	30.20	4	0.10	0.40	207	0.10	20.70	1	0.10	0.10	306	0.10	30.6	208	0.10	20.8
28	RAJSAMAND	372	0.10	37.20	7	0.10	0.70	291	0.10	29.10	7	0.10	0.70	379	0.10	37.9	298	0.10	29.8
29	SAWAIMADHOPUR	238	0.10	23.80	6	0.10	0.60	285	0.10	28.50	5	0.10	0.50	244	0.10	24.4	290	0.10	29
30	SIKAR	372	0.10	37.20	2	0.10	0.20	587	0.10	58.70	0	0.10	0.00	374	0.10	37.4	587	0.10	58.7
31	SIROHI	280	0.10	28.00	5	0.10	0.50	225	0.10	22.50	2	0.10	0.20	285	0.10	28.5	227	0.10	22.7
32	TONK	282	0.10	28.20	5	0.10	0.50	324	0.10	32.40	5	0.10	0.50	287	0.10	28.7	329	0.10	32.9
33	UDAIPUR	891	0.10	89.10	7	0.10	0.70	717	0.10	71.70	6	0.10	0.60	898	0.10	89.8	723	0.10	72.3
Total		**14395**	0.10	**1439.50**	**178**	0.10	**17.80**	**14604**	0.10	**1460.40**	**134**	0.10	**13.40**	**14573**	**0.10**	**1457.3**	**14738**	**0.10**	**1473.8**
GRAND TOTAL		**2931.10**												**2931.10**					